K.T.S. 22/11-12 7

आदेश की क्रम और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में
	अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी पूर्व में भी इस वाद में अनुपस्थित रहे हैं। दिनांक–16.10.2017 एवं दिनांक 07.12.2017 को अनुपस्थित थे। पुनः दिनांक 25.01.2018 को वादी की ओर से हाजिरी दी गई एवं दिनांक 15.03.2018 से दिनांक 10.05.2018 तक अनुपस्थित रहे और दिनांक 07.06.2018 को अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। उसके उपरान्त आज तक वे इस वाद में अनुपस्थित रहे और वाद में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई रूची नहीं है इसलिए पैरवी के अभाव में वादी का यह वाद पत्र खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 28.2.15 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। 28.2.15 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।	

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.12.03 13:38:42 +05:30
Location: 10.93.66.35